पूर्व मध्य रेलवे
(निर्माण संगठन)

कार्यालय,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)
पूमरे / महेन्द्रूघाट / पटना
दिनांक–23.01.2020

सं.–ECR/CAO/Con/E/Circulars/

- **All Chief Engineers/Con/ECR/MHX, Patna.**
  (NE, Central, Planning, North, SE, NW, South & GB).
- **CSTE/Con/North, South & HQ/ECR/MHX, Patna.**
- **CEE/Con/MHX, Patna.**
- **All Dy. CEs/Con/ MHX, Patna (North, South, TS, Design, General, ROB, PM & Survey)**
- **All Dy. CEs/Con Of Field Units,**
  (DNR, RGD,MGS, BRKA, DHN-II, Renukut, Chopan, Singrauli, HZME-I & II, GB/Patna, GB/MGR, Hajipur-I & II, Bettiah, NKE SPJ-I, II, III & IV, & Muzaffarpur).
- **Dy. CSTE/Con/DNR, DHN, CPU & SPJ, SPJ-II.**
- **Dy. CEE/Con/MHX/Patna/North (SPJ), South/MHX & CPU.**
- **Dy CMM/Con/MHX, Patna.**

Sub: - Special drive for DAR Cases of non-gazetted staff.
Ref: - महाप्रबंधक (का.) / पूमरे / हाजीपुर का पत्र सं..– E/74/O/ECR/HJP, Dated-05.12.2019.

विषयांकित से संबंधितं संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक–यथोपरि।

DA: As above.

(ए.पी. सिन्हा) 23/01/2020
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी / निर्माण
कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण

Copy to:-

1. Secy. to CAO/Con/South for kind information of CAO/C/South please.
2. Secy. to CAO/Con/North for kind information of CAO/C/North please.
3. Secy. to CAO/Con/GLP for kind information of CAO/C/GLP please.
4. CA to SPO/Con/MHX, Patna-for uploading on WEBSITE of Construction Organisation. & disseminating to field unit by concerned nodal officer through e-mail.

कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण

EAST CENTRAL RAILWAY | पूर्व मध्य रेल | EAST CENTRAL RAILWAY

RBE No.195/2019

PCPO's Sl.No.239/2019

No .E/74/O/ECR/HJP

Dated:-05.12.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशासन / पू.म.रे / हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी / मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना / समस्तीपुर / हरनौत।
7. Sr.DPO/ पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक / विधि / पटना।
9. प्राचार्य / क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान / मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी / कार्याधी / पू.म.रे / हाजीपुर।

विषय : Special drive for DAR cases of non-gazetted staff.

संदर्भ : Railway's Boards Lt. No.E(D&A)2019 RG6-19 Dated: 13/14.11.2019.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

(सौरभ सावर्ण) 5/12/19
वकाधि / ई.एस.एम
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक) / हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव / ईसीआरकेयू / पू.म.रे. / हाजीपुर।
2. महासचिव / एस0.सी0. / एस0.टी0. / एशोसिएशन / पू.म.रे. / हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे / हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव / ओ.बी.सी.एशोसिएशन / पू.म.रे. / हाजीपुर।

RBE No. - 195/2019

Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

E (D&A) 2019 RG6-19

New Delhi dated 13.11.2019 14

The General Managers,
All Indian Railways and Production Units etc.
(As per standard list)

Sub: Special drive for DAR cases of non-gazetted staff.

Disciplinary proceedings, arising both out of vigilance and non-vigilance cases, are instituted on the Railways and Production Units etc for which model timelines have been issued in the past. However, their finalization i.e. issue of the final orders by the Disciplinary Authorities is often delayed.

Disciplinary proceedings are of *quasi judicial* nature requiring mandatory compliance of the statutory provisions and the principles of natural justice. While individual disciplinary cases may have their own characteristics, yet it is desirable that they are finalized as per the model time lines and avoidable delays be cut down.

In this context, Railways/PUs are advised to conduct special drives whereby, in the first instance, the pendency of the minor penalty proceedings be brought down within the next two months. Simultaneously, efforts be also made to cut down on avoidable delays in major penalty proceedings.

In order to achieve this end, Railways/PUs may kindly ensure that personnel conversant with the governing provisions are dedicated for these matters. Those appointed as Inquiry Officers and Presenting Officers should also be conversant with the governing statutory provisions, and they may be given time which they can devote to expedite the proceedings.

It may therefore be useful that GMs/DRMs/CWMs etc periodically monitor the pendency of cases to ensure a sizeable reduction in the next two months.

A report on the cases pending on the Railways/PUs as on 01.10.2019 and thereafter be sent to this office.

This issues with the approval of Chairman, Railway Board.

(Sunil Kumar)
Executive Director/Establishment
Railway Board.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(डी एण्ड ए) 2019 आरजी6-19

आरबीई सं. 195/2019
नई दिल्ली, दिनांक 14.11.2019

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि.
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: अराजपत्रित कर्मचारियों के अनुशासन एवं अपील नियम से संबंधित मामलों के लिए विशेष अभियान।

सतर्कता और गैर-सतर्कता दोनों मामलों से संबंधित अनुशासनिक कार्यवाहियां रेलों और उत्पादन इकाइयों में आरंभ की जाती हैं जिनके लिए विगत में आदर्श समय-सीमा जारी की गई हैं। बहरहाल, उनके निपटारे अर्थात अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा अंतिम आदेश जारी करने में प्रायः विलम्ब हो जाता है।

अनुशासनिक कार्यवाहियां अर्द्धन्यायिक प्रकृति की होती हैं जिनके लिए सांविधिक उपबंधों और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना अपेक्षित होता है। हालांकि, व्यक्तिगत अनुशासनिक मामलों की अपनी विशेषताएं हो सकती हैं, परन्तु यह वांछनीय है कि उनका निपटारा आदर्श समय सीमा में ही किया जाए और परिहार्य विलम्ब में कमी लाई जाए।

इस संदर्भ में, रेलों/उत्पादन इकाइयों को विशेष अभियान चलाने का सुझाव दिया जाता है, जिससे कि पहली अवस्था में ही लघु शास्ति की कार्यवाहियों को अगले दो माह के भीतर कम किया जा सके। साथ-ही-साथ, बड़ी शास्ति की कार्यवाहियों में परिहार्य विलम्ब को कम करने के प्रयास भी किए जाएं।

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, रेलें/उत्पादन इकाइयां कृपया यह सुनिश्चित करें कि ये मामले शासी प्रावधानों के विशेषज्ञ कार्मिक को ही सौंपे जाएं। जांच अधिकारी और प्रस्तुतिकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए अधिकारियों को भी शासी सांविधिक प्रावधानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उन्हें यथोचित समय दिया जाए जिससे कि वे कार्यवाहियों में तेजी लाने के लिए अपना पूर्ण योगदान दे सकें।

अतः, यह उपयोगी होगा कि महाप्रबंधक/मंडल रेल प्रबंधक/मुख्य कारखाना प्रबंधक, आदि मामलों के लंबित होने की आवधिक रूप से निगरानी करें ताकि अगले दो माह में लंबित मामलों में महत्वपूर्ण कमी सुनिश्चित की जा सके।

01.10.2019 को और उसके बाद रेलों/उत्पादन इकाइयों में लंबित मामलों की एक रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजी जाए।

इसे अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सुनील कुमार)
कार्यपालक निदेशक/स्थापना
रेलवे बोर्ड